CS 20 पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय की नीति (पूर्व में 06-05-01)

श्रेणी:	स्वास्थ्य, सुरक्षा और यौन दुर्व्यवहार
धारा:	यौन दुर्व्यवहार और भेदभाव
विषय:	यौन दुर्व्यवहार
प्रभावी दिनांक:	14 अगस्त, 2020 संशोधित
पेज:	5

I. प्रयोजन

यह दस्तावेज़ विश्वविद्यालय द्वारा यौन दुर्व्यवहार के निवारण से संबंधित नीति स्थापित करता है जो अन्यथा “यौन उत्पीड़न” से नहीं जुड़ता है, जैसा कि नीति CS 27, टाइटल IX के तहत विशेष रूप से परिभाषित और संबोधित किया गया है।

यौन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के बारे में जानकारी के साथ ही साथ शिकायत और अपील की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी, संबंधित प्रक्रिया CS 20 (पूर्व में 06-05-01), यौन दुर्व्यवहार(https://www.policy.pitt.edu/cs-20-sexual-misconduct-formerly-06-05-01)देखें।

II. नीति

विश्वविद्यालय समुदाय के सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे खुद कोई ऐसा आचरण ना करें, जिससे दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन हो।

विश्वविद्यालय रोजगार के मामले में या अपने शैक्षिक कार्यक्रमों या अन्य गतिविधियों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यौन दुर्व्यवहार जो शैक्षणिक या रोजगार के माहौल को प्रभावित करता है, यौन भेदभाव का एक स्वरूप है। इस तरह का आचरण (एक हद तक इसे नीति CS 27 के तहत शामिल और संबोधित नहीं किया गया है) इस नीति का उल्लंघन करता है और आम तौर पर संघीय, राज्य या स्थानीय कानूनों का भी उल्लंघन करता है। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय समुदाय को यौन दुर्व्यवहार से मुक्त बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

समुदाय के सदस्यों, मेहमानों और आगंतुकों को यौन कदाचार से मुक्त होने का अधिकार है, एक व्यापक परिभाषिक शब्द है, जिसे नीचे खंड IV में परिभाषित किया गया है।

जब यौन दुर्व्यवहार होता है, तो विश्वविद्यालय आचरण को समाप्त करने, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कार्य करेगा और व्यक्तियों तथा विश्वविद्यालय समुदाय दोनों पर प्रभाव डालने वाले उपाय CS 20 संबंधित नीति और प्रक्रिया CS 27 के अनुसार करेगा। यह नीति और इससे जुड़ी प्रक्रिया समाधान और विश्वविद्यालय समुदाय के सदस्यों के लिए यौन दुर्व्यवहार की शिकायतों की अपील के एकमात्र आंतरिक विश्वविद्यालय मंच के रूप में काम करेगी (नीति CS 27 के तहत शामिल किए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों की प्रक्रिया और CS 20 में उल्लिखित प्रक्रिया को छोड़कर)।

ऐसे भेदभाव जो न तो इस नीति के तहत यौन दुर्व्यवहार है और न ही नीति CS 27 के तहत यौन उत्पीड़न है; ऐसे मामलों का विश्लेषण विश्वविद्यालय के गैर-भेदभाव, समान अवसर और सकारात्मक कार्रवाई नीति और प्रक्रिया CS 07 (पूर्व में 07-01-03) या अन्य उपयुक्त नीति या प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए।

III. अधिकार क्षेत्र

यह नीति सभी छात्रों, पोस्ट-डॉक्टरल सहयोगियों और पोस्ट-डॉक्टोरल स्कॉलर्स, अनुसंधान सहयोगियों, फैकल्टी, फैकल्टी प्रशासकों, कर्मचारियों, स्टाफ़ प्रशासकों, बोर्ड के ट्रस्टी सदस्यों और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों सहित विश्वविद्यालय समुदाय के सभी सदस्यों, चाहे वह पूर्णकालिक हो या अंशकालिक तथा अतिथि व्याख्याताओं, स्वयंसेवकों, सलाहकार बोर्ड के सदस्यों और तीसरे पक्षकार जैसे ठेकेदार और आगंतुक; सभी पर लागू होती है। तृतीय पक्षकार इस नीति का उल्लंघन करने से प्रतिबंधित हैं, लेकिन कार्रवाई में विश्वविद्यालय समुदाय के सदस्यों से जुड़ी प्रक्रिया के वे हकदार नहीं हैं। यह नीति छात्र पर उस दिनांक से लागू होती है, जिस दिन छात्र ने पैसे जमा किए या भर्ती हुआ, जो भी पहले हो। फैकल्टी और स्टाफ़ के लिए, यह तब लागू होता है जब नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है।

यह नीति सभी विश्वविद्यालय-प्रायोजित गतिविधियों और कम से कम विश्वविद्यालय समुदाय के एक सदस्य (व्यक्तिगतऔर/या वर्चुअल) परिसर में या परिसर से बाहर हो; और गैर-विश्वविद्यालय-प्रायोजित इवेंट्स, जो विश्वविद्यालय की संपत्ति में होता है;

जो हो सकता है विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल पर प्रभाव डालता हो या ना डालता हो - सभी को नियंत्रित करती है।

यौन दुर्व्यवहार के मामले में, चाहे किसी भी लिंग की पहचान या अभिव्यक्ति से जुड़ा व्यक्ति हो; उसका व्यवहार एक समान या भिन्न लिंग की पहचान या अभिव्यक्ति से जुड़े सहित किसी व्यक्ति(यों) के ख़िलाफ़ हो सकता है, लेकिन यह महज़ ट्रांसजेंडर तक ही सीमित नहीं IV. परिभाषा।

IV. परिभाषा

इस नीति के अंतर्गत आने वाले यौन दुर्व्यवहार में शामिल हैं[1]:

A. यौन उत्पीड़न

1. जब अवांछित तौर पर मौखिक रूप से या इशारों में यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह का अनुरोध, अन्य यौन प्रकृति का मौखिक, वर्चुअल या शारीरिक आचरण और/या लिंग या लैंगिक स्टीरियोटाइप या पहचान के कारण किसी व्यक्ति(यों) के साथ किया गया तो ऐसे किसी आचरण करने को यौन उत्पीड़न के रूप में परिभाषित किया गया है:
   a. किसी व्यक्ति के रोजगार या छात्र होने की स्थिति या विश्वविद्यालय के कार्यक्रम या गतिविधि में भागीदारी के लिए ऐसे आचरण का सबमिशन के लिए या तो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ नियम या शर्तें बनाई जाती हैं; या
   b. ऐसे आचरण का सबमिशन या अस्वीकार का उपयोग रोजगार (बढ़ोतरी, नौकरी, कार्य संबंधी असाइनमेंट, अनुशासन आदि) या छात्र की स्थिति (ग्रेड, संदर्भ, असाइनमेंट, आदि) के लिए उस व्यक्ति के संबंध में प्रभावित करने वाले निर्णयों के आधार के रूप में किया जाता है; या
   c. इस तरह का आचरण गंभीर या विकृत है और उद्देश्यपूर्ण और विषयगत रूप से इसका प्रभाव पड़ता है:
      i. किसी व्यक्ति के काम या शिक्षा के मामले में समान पहुंच के साथ अनुचित हस्तक्षेप;
      ii. डराना-धमकाना, शत्रुतापूर्ण या आक्रामक कार्य या शैक्षणिक माहौल बनाना।
   d. इस तरह का आचरण, अगर दोहराया जाता है, तो ऊपर दिए गए मानक को अमल में लाए जाने की यथोचित संभावना है।
2. अवांछित व्यवहार एक ऐसी कार्रवाई है जो याचित या आमंत्रित नहीं होती है और प्राप्तकर्ता के लिए इसे अवांछनीय या अपमानजनक माना जाता है।
3. जबकि यौन उत्पीड़न सबसे अधिक बार होता है जहां शामिल व्यक्तियों के बीच शक्ति का अंतर होता है, यह एक समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। यह समान लिंग के सदस्यों के साथ ही साथ भिन्न लिंगों के सदस्यों के बीच हो सकता है।
4. ऐसे कार्यों में यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं और इसमें अवांछित कार्य शामिल हो सकते हैं, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं होते हैं:
   a. एक यौन प्रकृति के प्रस्ताव, निमंत्रण, लालच और इश्कबाज़ी।
   b. धमकी या आक्षेप जो किसी व्यक्ति के रोजगार, मजदूरी, शैक्षिक ग्रेड, तरक्की के अवसर, क्लासरूम या असाइन किये गए काम या रोजगार या शैक्षिक जीवन की अन्य स्थितियां यौन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करने से पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं।
   c. किसी व्यक्ति के शरीर, कपड़ों, दिखावे या यौन गतिविधियों के बारे में यौन संचार सहित यौन प्रकृति की मौखिक, लिखित या वर्चुअल अभिव्यक्ति; लैंगिक दृष्टि से अपमानजनक भाषा का उपयोग, अभद्र भाषा,

[1]जैसा कि अनुच्छेद I में उल्लिखित है, यहाँ वर्णित किसी भी निषिद्ध आचरण की सीमा तक अन्यथा नीति CS 27, टाइटल IX के तहत विशेष रूप से परिभाषित "यौन उत्पीड़न" माना जाएगा, इस तरह के सभी आचरण नीति CS 27 और इसकी प्रक्रिया के तहत संबोधित किए जाएंगे। "यौन उत्पीड़न" का कोई संदर्भ यहां केवल उस शब्द से संबद्ध है जैसा कि इस नीति और प्रक्रिया के तहत इसे लिया गया है।

अश्लील चुटकुले या इशारे और अश्लील फ़ोन कॉल।

d. सांकेतिक व्यवहार जैसे अश्लील या अपमानजनक इशारेबाज़ी, आवाज़ निकालना या सीटी बजाना; अश्लील वस्तुओं या लिखित सामग्रियों, चित्रों, तस्वीरों, कार्टून, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो या DVD का प्रदर्शन।

e. अनुचित और अवांछनीय शारीरिक संपर्क जैसे कि स्पर्श करना, थपथपाना, चिकोटी काटना, आलिंगन करना या अन्य अश्लील तौर पर यौ संपर्क करना।

f. यौन, लिंग-संबंधी या एक रोमांटिक प्रकृति का पीछा करना। कृपया विश्वविद्यालय के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के वेबपेज (http://www.safety.pitt.edu/crime-report/chart-I-2014.html) और यौन उत्पीड़न की परिभाषाएं भी देखें

g. लिंग, लैंगिक स्टीरियोटाइप या लैंगिक अभिव्यक्ति के आधार पर एक समूह के बारे में स्टीरियोटाइप होना या सामान्यीकरण करना। इस प्रकार की टिप्पणियां जब अन्य यौन व्यवहार या टिप्पणियों से जुड़ा हो, तो ये यौन उत्पीड़न का कारण बन सकती हैं।

h. प्रदर्शन संबंधी प्रवृति (अश्लील प्रदर्शन), या अन्य की यौन गतिविधि को देखने (पीपिंग टॉम) जैसे अवैध यौन कार्य।

i. यौन उत्पीड़न या हिंसा के अन्य कार्य भी यौन उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं।

B. यौन हिंसा

यौन हिंसा यौन दुर्व्यवहार का एक उपनाम है। यौन हिंसा का तात्पर्य किसी व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध शारीरिक यौन कृत्यों से है या जहां व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ है (उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति उम्र या ड्रग्स के प्रभाव में या अल्कोहल के उपयोग के कारण या बौद्धिक या अन्य विकलांगता के कारण, जो कि व्यक्ति को सहमति देने की क्षमता में बाधा डालता है)। कई अलग-अलग किस्म के कार्य यौन हिंसा की श्रेणी में आते हैं, जिनमें बलात्कार, यौन हमले, यौन बैटरी, यौन शोषण और यौन शोषण शामिल हैं। यौन हिंसा के ऐसे सभी कार्य इस नीति द्वारा निषिद्ध यौन भेदभाव के स्वरूप हैं।

यौन हिंसा से संबंधित परिभाषाएँ यहाँ देखी जा सकती हैं: https://www.diversity.pitt.edu/

जहां यौन हिंसा शामिल है, गोपनीयता के अनुरोध को जैसा कि प्रक्रिया CS 20 के परिशिष्ट B में उल्लेखित है, यौन दुर्व्यवहार माना जाएगा।

C. अन्य यौन दुर्व्यवहार

यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा के अलावा, इस नीति द्वारा कवर किए गए अन्य दुर्व्यवहार में पीछा करना और यौन शोषण तथा लागू कानून द्वारा निषिद्ध दुर्व्यवहार का कोई अन्य समान रूप शामिल है। प्रासंगिक परिभाषाएं यहां मिल सकती हैं: https://www.diversity.pitt.edu/

D. यौन दुर्व्यवहार जब संवैधानिक रूप से संरक्षित भाषा बन जाता है या अकादमिक सेटिंग में होता है

जब मामला संवैधानिक रूप से संरक्षित भाषा से जुड़ा होता है, तो यह नीति केवल पहले संशोधन के अनुरूप एक सीमा तक लागू होगी। यह नीति व्याख्यान, कक्षा में बहस, पढ़ने संबंधी असाइनमेंट, प्रस्तुतिकरण, शोध और प्रकाशनों जैसी वैध शैक्षिक गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं करती है, जिसमें यौन या लिंग संबंधी प्रकृति की सामग्री शामिल है और जो शैक्षिक विषय से संबंधित है। मिसाल के तौर पर, मानव कामुकता पर किसी कक्षा में यौन की सामग्री शामिल होगी या लिंग से संबंधित प्रकृति की सामग्री। हालांकि, ऐसी स्थितियां हैं जब किसी शैक्षिक व्यवस्था में यौन दुर्व्यवहार या उत्पीड़न हो सकता है। मिसाल के तौर पर, बेहतर ग्रेड के लिए लैंगिक अनुकूलता के आदान-प्रदान से इनकार करने के लिए एक छात्र को असफल कर देना प्रथम संशोधन द्वारा संरक्षित नहीं होगा और यह इस नीति का उल्लंघन होगा।

शिक्षा पर विश्वविद्यालय की तदर्थ समिति का अकादमिक स्वतंत्रता पर वक्तव्य

स्वतंत्रता यह निर्धारित करने में उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है कि इस मुद्दे पर आचरण शैक्षणिक विषय से संबंधित है या नहीं।

V. अधिकारी या सत्ता से जुड़ा रिलेशनशिप

जब एक व्यक्ति विश्वविद्यालय में आसमान पावर वाली किसी स्थिति में होता है, तो हितों का टकराव, पक्षकारपात और शोषण की संभावना होती है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास में कि विश्वविद्यालय का शैक्षिक और कार्य संबंधी माहौल आपसी सम्मान और विश्वास के माहौल में पेशेवर रिश्तों पर आधारित है, तो

विश्वविद्यालय में आपसी सहमति वाले रिलेशनशिप को लेकर नीति है, जो कि नीति CS 02, (पूर्व में 07-14-01) है। सभी नीतियां और प्रक्रियाएं https://www.policy.pitt.edu/ में मिल सकती हैं।

VI. यौन दुर्व्यवहार से संबंधित विश्वविद्यालय के प्रयासों के समन्वय की ज़िम्मेदारी

आरोपों के लिए विश्वविद्यालय का ऑफ़िस ऑफ सिविल राइट्स और टाइटल IX उपयुक्त ज़िम्मेदारी केंद्र के प्रमुख या नामिती के साथ मिलकर, विश्वविद्यालय की कार्रवाई के समन्वय के लिए ज़िम्मेदार है ऐसे निषिद्ध आचरण का आरोप, जो यहां परिभाषित हैं।

ऑफ़िस ऑफ सिविल राइट्स और टाइटल IX से संपर्क जानकारी
https://www.diversity.pitt.edu/civil-rights-title-ix-compliance पर देखी जा सकती है।
कृपया यौन दुर्व्यवहार की शिकायतों की रिपोर्ट करने के मद्देनज़र मार्गदर्शन के लिए CS 20 प्रक्रिया देखें।

VII. ज़िम्मेदार कर्मचारी और गोपनीयता

आम तौर पर सभी पिट कर्मचारी ज़िम्मेदार कर्मचारी होते हैं जब तक कि उनकी नौकरी में पेशेवर गोपनीयता की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, चिकित्सकों, नर्सों और पादरी के मामले में होता है। एक "ज़िम्मेदार कर्मचारी" विश्वविद्यालय का ऐसा कर्मचारी होता है, यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं की रिपोर्ट करना जिसका वास्तविक या यथोचित कर्तव्य होता है या जिसके पास यह यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं का पता लगाने में मदद करने का अधिकार होता है।
गोपनीयता के मद्देनजर, एक ज़िम्मेदार कर्मचारी को ऑफ़िस ऑफ सिविल राइट्स और टाइटल IX को कथित यौन हिंसा के बारे में सर्वाइवर द्वारा साझा की गई सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ रिपोर्ट करना चाहिए और - यदि ज्ञात हो तो, सर्वाइवर और कथित अपराधी (यों) के नाम, गवाह और कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य, जिसमें कथित घटना की तारीख, समय और विशिष्ट स्थान शामिल है, सहित।
जहां तक संभव हो, एक ज़िम्मेदार कर्मचारी रिपोर्ट की गई जानकारी को रिपोर्ट के मद्देनजर विश्वविद्यालय की कार्रवाई के लिए केवल ज़िम्मेदार लोगों के साथ साझा करेगा। सर्वाइवर की सहमति के बिना या जब तक पीड़ित ने कानून प्रवर्तन को घटना की रिपोर्ट नहीं की है या यदि कोई स्वास्थ्य या सुरक्षा संबंधी आपातकाल है; तब तक किसी ज़िम्मेदार कर्मचारी को कानून प्रवर्तन को जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ज़िम्मेदार कर्मचारी यौन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट प्राप्त करता है, तो कर्मचारी रिपोर्टिंग व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि उस कर्मचारी को ऑफ़िस ऑफ सिविल राइट्स और टाइटल IX को इस घटना की रिपोर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन वह सिविल राइट्स और टाइटल IX का कार्यालय सूचना को तब तक गोपनीय रखेगा जब तक कि उसे कानून द्वारा ऐसा करने की अनुमति प्राप्त है और वह यह सुनिश्चित करें कि यह केवल उन लोगों के साथ साझा की जाए जिन्हें जानना ज़रूरी है।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया ज़िम्मेदार कर्मचारी भूमिका देखें।

VIII. प्रतिशोध

प्रतिशोध निषिद्ध है और यह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अलग से आधार बनाएगा। प्रतिशोध किसी शिकायतकर्ता, प्रतिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के ख़िलाफ़, जो इस नीति या इस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति के लिए रिपोर्ट करने या इसमें भागीदारी करने की प्रक्रिया से जुड़ा है, के आधार पर की जाने वाली बदले की कार्रवाई है। प्रतिशोध में परिचित व्यक्ति, मित्रों और परिवार के सदस्यों समेत, प्रतिवादी या शिकायतकर्ता और अन्य संबंधित व्यक्तियों, लेकिन यह इतने तक सीमित नहीं है, के ख़िलाफ़ किया गया व्यवहार शामिल है। हालांकि प्रतिशोध में संलग्न किसी के ख़िलाफ़ भी स्वतंत्र कार्रवाई की जाएगी, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को इस तरह के कार्यों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, वरना प्रतिशोध में एक हद तक भागीदारी के लिए उन्हें भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। एक व्यक्ति जिसे लगता है कि उससे प्रतिशोध लिया गया है, तो ऑफ़िस ऑफ सिविल राइट्स और टाइटल IX से संपर्क करना चाहिए और विश्वविद्यालय इस शिकायत की जांच करेगा। यदि विश्वविद्यालय यह तय करता है कि प्रतिशोध का समर्थन करने के लिए सबूत मौजूद हैं, तो बुनियादी यौन दुर्व्यवहार की शिकायत का परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, यथोचित कार्रवाई की जाएगी। जब तक अतिरिक्त यौन दुर्व्यवहार शामिल न हो, इसमें आमतौर पर समाधान के लिए विश्वविद्यालय के एक और प्रक्रिया के मामले में प्रतिशोध का संदर्भ जुड़ा होता है।

IX. प्रशिक्षण और अन्य संसाधन

प्रशिक्षण और अन्य संसाधनों का वर्णन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यौन उत्पीड़न और हमला प्रतिक्रिया और शिक्षा (सेक्सुअल हरासमेंट एण्ड असॉल्ट रेस्पॉन्स एण्ड एजुकेशन, SHARE) पर http://www.share.pitt.edu पर किया गया है।

पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में सभी स्टाफ़, फैकल्टी, स्नातक शिक्षण और अनुसंधान सहायकों, अनुसंधान सहयोगियों और पोस्ट-डॉक्स को यौन उत्पीड़न रोकथाम और परिश्रमिक पर प्रतिक्रिया प्रशिक्षण पूरा करने का आवश्यक है और उसके बाद हर चार साल में कम से कम एक बार। अतिरिक्त प्रशिक्षण भी उपलब्ध है और इसकी अनुशंसा भी की जाती है। फैकल्टी, स्टाफ़ और छात्रों के लिए उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रमों की सूची के लिए, http://www.share.pitt.edu/resources/prevention देखें।

विश्वविद्यालय के संसाधनों में छात्रों के लिए यौन उत्पीड़न सेवा कल्याण केंद्र (सेक्सुअल असॉल्ट सर्विसेज़ वेलनेस सेंटर) (नॉर्डेनबर्ग हॉल, 412-648-7930 या 5:00 बजे के बाद 412-648-7856), फैकल्टी और स्टाफ़ के लिए लाइफ सॉल्यूशन्स (http: //www.hr.pitt| edu / lifesolutions) और सभी फैकल्टी और स्टाफ़ और छात्रों के लिए सिविल राइट्स और टाइटल IX का कार्यालय शामिल हैं। विश्वविद्यालय और सामुदायिक संसाधनों की एक सूची पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के सभी विश्वविद्यालयों परिसर में उपलब्ध हैं, यौन दुर्व्यवहार 06-05-01 से संबंधित प्रक्रिया का परिशिष्ट A को देखें।

X. इस नीति में परिवर्तन

यह नीति और संबद्ध प्रक्रिया, संबंधित कानूनों, विनियमों और/या मामले के कानून में बदलाव के कारण, परिवर्तन के अधीन हैं। वर्तमान संस्करण, जो https://www.policy.pitt.edu/ पर पाया जा सकता है, हमेशा लागू होते हैं।

XI. संदर्भ

प्रक्रिया CS 20 (पूर्व में 06-05-01), यौन दुर्व्यवहार

नीति CS 27, टाइटल IX

प्रक्रिया CS 27, टाइटल IX

नीति CS 02 (पूर्व में 02-04-03), छात्रों और कर्मचारियों के बीच सहमतिपूर्ण यौन, रोमांटिक और अंतरंग रिलेशनशिप

नीति CS 07; (पूर्व में 07-01-03), गैर-भेदभाव, समान अवसर और सकारात्मक कार्रवाई

पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय की शैक्षिक स्वतंत्रता पर तदर्थ समिति की शैक्षिक स्वतंत्रता पर वक्तव्य, http://www.pitt.edu/~provost/afstatement.html